डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-34/35, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

12/19 मार्च 2025 मार्च 2025, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि:शुल्क

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल

छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (KVNP) को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिससे बस्तर क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान न केवल जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है, बल्कि यह बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को भी दर्शाता है। इसका विश्व धरोहर सूची में शामिल होना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय आदिवासी समुदाय को भी आर्थिक लाभ होगा।

प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता

कांगेर घाटी अपने घने जंगलों, जलप्रपातों और ऐतिहासिक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तीरथगढ़ जलप्रपात, कोटमसर, कैलाश और दंडक गुफाएँ वैज्ञानिकों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। उद्यान में 963 प्रकार की वनस्पतियाँ, 210 पक्षी और दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें बस्तर हिल मैना और ट्रैवणकोर वुल्फ स्नेक शामिल हैं।

पर्यटन और रोजगार में इज़ाफा

यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी।

'बस्तर पंडुम 2025' के लोगो का अनावरण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विधानसभा परिसर में 'बस्तर पंडुम 2025' के लोगो का अनावरण किया। यह आयोजन बस्तर की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को सहेजने का अनूठा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव बस्तर में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 'बस्तर पंडुम 2025' तीन चरणों में आयोजित होगा। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता 12 से 20 मार्च, जिला स्तरीय प्रतियोगिता 21 से 23 मार्च और संभाग स्तरीय प्रतियोगिता दंतेवाड़ा में 1 से 3 अप्रैल तक होगी। इसमें नृत्य, गीत, नाट्य, शिल्प, पारंपरिक व्यंजन और वेशभूषा से जुड़ी प्रतियोगिताएं होंगी। लोगो में इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात, वनभैंसा, पहाड़ी मैना और पारंपरिक वाद्ययंत्रों को दर्शाया गया है, जो बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को संजोने का प्रतीक है।

सशक्त हो रही महिलाएं, समृद्ध हो रहा छत्तीसगढ़

महिला कल्याण के लिए चार नए पोर्टल लॉन्च, महतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त जारी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में "वृहद महतारी वंदन सम्मेलन" में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएँ दीं और कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक योजना नहीं, बल्कि यह हमारी सरकार का संकल्प है। नारी शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। जब महिलाएँ आत्मनिर्भर होंगी, तभी समाज और देश प्रगति करेगा। उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं और नई घोषणाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को सुरक्षित, स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

"अजेय नारी, आराध्य नारी" थीम पर आयोजन

चार दिवसीय महिला मड़ई का आयोजन "अजेय नारी – आराध्य नारी" थीम पर किया गया। इसमें 33 जिलों के 87 महिला स्व-सहायता समूहों ने भाग लिया और अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। 20 लाख रुपये से अधिक की बिक्री

महिला कल्याण के लिए चार नए पोर्टल लॉन्च

- उत्पीड़ित महिलाओं के लिए डिजिटल शिकायत पोर्टल
- बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ पोर्टल
- इंफ्रा पोर्टल
- स्थापना पोर्टल

महिला उद्यमिता को बढ़ावा

महिला स्व-सहायता समूहों (SHG) को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से "यूनिटी मॉल" बनाएगी।

आंगनबाड़ी के लिए बड़ा फैसला

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उनके मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।

छत्तीसगढ़ बना अग्रणी राज्य

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की है। यह सेंटर संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करता है। अब इसके संचालन के लिए एक निश्चित प्रणाली होगी

मंत्रिपरिषद के मुख्य निर्णय

शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा देगी छत्तीसगढ़ सरकार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्यहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

- छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा मिलेगी।
- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी।
- राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) का गठन, जो जल संसाधनों के प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना के लिए महत्वपूर्ण डेटा संग्रह करेगा।
- 9 बड़े बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति,
- मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू, जिसके तहत चयनित युवाओं को IIM रायपुर से MBA डिग्री और सरकार द्वारा स्टाइपेंड दिया जाएगा।
- भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा) को जिम्मेदारी।

ऊर्जा क्रांति:

'छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट' में कई कंपनियों का निवेश का ऐलान

3 लाख करोड़ के निवेश से सस्ती और निर्बाध बिजली की नई राह

'छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट' का आयोजन में कई कंपनियों ने 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की। यह निवेश न्यूक्लियर, थर्मल, सौर और पंप्ड स्टोरेज जैसे ऊर्जा स्रोतों पर केंद्रित होगा, जिससे राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। यह ऐतिहासिक निवेश छत्तीसगढ़ को ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाएगा, और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

प्रमुख निवेश योजनाएं

एनटीपीसी: 80,000 करोड़ का निवेश, 4200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट।
जिंदल पावर: रायगढ़ में 1600 मेगावाट का प्लांट, 12,800 करोड़ का निवेश।
सारदा एनर्जी: 5300 करोड़ से 660 मेगावाट का पावर प्लांट।
सौर ऊर्जा: 10,000 करोड़ से सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार।
पीएम कुसुम योजना: किसानों के लिए 4,100 करोड़ का सौर ऊर्जा निवेश।

अदाणी पावर: 66,720 करोड़ का निवेश, कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 4800 मेगावाट के थर्मल प्लांट।
पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं: 57,046 करोड़ का निवेश, ग्रिड स्थिरता के लिए ऊर्जा भंडारण।
पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क: 17,000 करोड़ का निवेश, बिजली पारेषण के लिए।

रिक्रूटमेंट नोटिस

असम राइफल्स
पदः ट्रेड्समैन सहित अन्य
पद संख्याः 215
अंतिम तिथिः 22 मार्च 2025
www.assamrifles.gov.in

UPPSC PCS
पदः SDM सहित अन्य
पद संख्याः 200
अंतिम तिथिः 24 मार्च 2025
uppsc.up.nic.in

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
पोस्टः अप्रेंटिस
कुल पदः 835
आवेदनः 25 मार्च 2025
scr.indianrailways.gov.in

MPPSC
पदः असिस्टेंट प्रोफेसर
पद संख्याः 2117
अंतिम तिथिः 26 मार्च 2025
mponline.gov.in

BTSC
पदः मेडिकल ऑफिसर
पद संख्याः 3623
अंतिम तिथिः 1 अप्रैल 2025
www.btsc.bihar.gov.in

ASRB NET 2025
पदः ARS सहित अन्य
पद संख्याः 582
अंतिम तिथिः 21 मई 2025
asrb.org.in

ITBP
पदः कांस्टेबल
पद संख्याः 133
अंतिम तिथिः 2 अप्रैल 2025
itbpolice.nic.in

वर्ष-22, अंक-32, रायपुर
रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक : डॉ. रवि मित्तल
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय : संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था : मोहन मिश्रा, विक्रांत

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन
निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगाड़ा बजाकर और फाग गीत गाकर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी...

खेल क्रांतिः 5 करोड़ की लागत से नया मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स

बच्चों-युवाओं को मिलेंगी खेल की सुविधाएं, 100 कारों की पार्किंग और 870 लोगों की बैठक क्षमता

राजधानी रायपुर के युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर में 15 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनने जा रहा है, जहां हैंडबॉल, वालीबॉल, बैडमिंटन, जूडो, रेसलिंग और कबड्डी सहित कई खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। यह कांप्लेक्स 870 लोगों की बैठक क्षमता के साथ जिम, मेडिटेशन हॉल और 100 कारों की पार्किंग की सुविधा से लैस होगा।

इन खेलों की मिलेगी ट्रेनिंग और सुविधाएं
- एक जिम
- एक हैंडबॉल कोर्ट
- दो वालीबॉल कोर्ट
- दो बैडमिंटन कोर्ट
- दो जूडो मैट
- दो रेसलिंग मैट्स
- दो कबड्डी एरिया
- एक मेडिटेशन हॉल
- एक लॉकर रूम और चेंजिंग रूम

खेल सुविधाओं का विस्तार

रायपुर के सुभाष स्टेडियम को पहले ही मल्टी स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जा चुका है, जहां बॉक्सिंग, रेसलिंग और वेटलिफ्टिंग जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी तर्ज पर रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी एक बड़े मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नगर निगम रायपुर ने इस योजना को तैयार कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है।

100 कारों की पार्किंग की सुविधा

इस मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए 870 लोगों की बैठक क्षमता होगी। साथ ही, पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए 100 कारों की पार्किंग और बड़ी संख्या में बाइक्स की पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रीनरी से मिलेगा खूबसूरत माहौल

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के चारों ओर हरियाली विकसित की जाएगी। यहां एक गार्डन और वॉकिंग पाथवे भी तैयार किया जाएगा, जिससे नागरिक सुबह-शाम टहलने और योग करने के लिए इस स्थान का उपयोग कर सकेंगे।

2026 तक होगा निर्माण पूरा

नगर निगम रायपुर के अधिकारियों के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया में लगभग एक महीने का समय लगेगा। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और 2026 के मार्च तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन इलाकों के लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

इस परियोजना से समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, रामसागर पारा, जवाहर नगर, गुढ़ियारी, आमापारा और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों और युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

उद्योग विभाग में सहायक संचालक की होगी भर्ती

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से साल 2025 की पहली वैकेंसी वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए निकली है। यह सहायक संचालक व प्रबंधक के लिए है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू होगी। इस संबंध में सीजीपीएससी से सूचना जारी की गई है। कुल 30 पदों पर भर्ती होगी।

जिला पंचायत में क्षेत्रीय समन्वयक और लेखा सहायक भर्ती

जिला पंचायत महासमुन्द ने क्षेत्रीय समन्वयक, लेखा सहायक और एम.आई.एस. सहायक के 09 संविदा पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 05 मार्च से 20 मार्च 2025 तक अपने आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीईओ, जिला पंचायत महासमुन्द के पते पर भेज सकते हैं।

सीनियर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम में 31 मार्च तक प्रवेश

आईआईएम रायपुर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम – लीडरशिप एट पीक के दूसरे बैच में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। सीईओ, सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव और बिजनेस लीडर्स के लिए तैयार किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी आईआईएम रायपुर की वेबसाइट iim-raipur.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। वे उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जो ग्रेजुएट हों और उनके पास कम से कम 10 साल का कार्य अनुभव हो।

जिला पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखापाल पदों पर भर्ती

गरियाबंद जिला पंचायत में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत संविदा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रिक्त पदों में विकासखंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक, लेखापाल, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर और लेखा सह एम.आई. एस. सहायक शामिल हैं। अभ्यर्थी 06 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीईओ, जिला पंचायत गरियाबंद के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए मान्य होगा।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड में 582 पदों पर भर्ती

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB) ने ASRB NET 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। 582 पदों पर भर्ती के लिए 1 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन इसकी अंतिम तिथि 21 मई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट asrb.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम 2 से 4 सितंबर 2025 और मेन्स एग्जाम 7 दिसंबर, 2025 को होगा। पद के अनुसार, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर या समकक्ष डिग्री, पीएचडी। पोर्टल द्वारा निर्देशित अनुसार आवेदन भरें।

CISF में कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के 1048 पदों पर भर्ती

CISF की ओर से कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू है। जिसका अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2025 है। उम्मीदवार cis-frectt.cisf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें 945 पद पुरुषों, 103 पद महिलाओं के लिए है। शैक्षणिक योग्यताः मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षित होना चाहिए। सभी वर्ग की महिला निशुल्क हैं। कैसे करें आवेदनः वेबसाइट cis-frectt. eisf.gov.in पर जाएं। कॉन्स्टेबल / ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें।

MPPSC में लाइब्रेरियन के पद पर भर्ती

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवार mppsc.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 23 मई को, परीक्षा 1 जून को होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 है। 55% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री (आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लॉ) आदि में होनी चाहिए। UGC NET / CSIR NET/MP SET/SLET परीक्षा में पास होना चाहिए। Ph.D. होल्डर्स के लिए NET/SET/SLET जरूरी नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूरी डिटेल्स दर्ज करें।

सिपेट में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जून में होगी परीक्षा

शिक्षा सत्र 2025-26 के अनुसार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पैट्रोकैमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए 8 जून को एंट्रेंस एग्जाम होंगे। ऑनलाइन आवेदन 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। सिपेट रायपुर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी कोर्स संचालित है। विस्तृत जानकारी वेबसाइट https://ci-pet25.onlineregistration-form.org/CIPET/ पर दी गई है।

कार्यालय अधिष्ठाता
भारत रत्न स्व० श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

Office Phone: 07744-296105, Website: abvmgmcrajnandgaon.ac.in Email: gmc.rjn@gmail.com

क्रमांक/10H2/ चिकि./स्था./2025 **राजनांदगाँव, दिनांक 5/03/2025**

भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव (छ.ग.) के निम्नलिखित विभागों में Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Senior Resident एवं Demonstrator के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में "वॉक इन इन्टरव्यू" का प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को एवं अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में आयोजित किया जावेगा। वर्तमान में विभागों के रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

Professor	**Associate Professor**	**Assistant Professor**	**Senior Resident**	**Demonstrator**
Anatomy-01 (ST) Physiology-01 (ST) Pharmacology-01 (ST) Forensic Medicine-01 (SC) TB & Chest-01 (ST) Skin & VD-01 (OBC) Psychiatry-01 (UR) Cardiology-01 (ST) Orthopaedics-01 (SC) ENT-01 (UR) Neurosurgery-01 (ST) Radiodiagnosis-01 (UR-PH)	Physiology-01 (ST) Blochemistry-01 (OBC) Microbiology-01 (ST) Pathology-01 (SC) General Medicine-02 (1ST,1OBC) Pediatrics-01 (ST) TB & Chest-01 (SC) Skin & VD-01 (UR) Cardiology-01(ST) Anaesthesiology-01 (UR-PH) General Surgery-02 (1ST,1UR) Obstetrics & Gynecology-01 (OBC) Radiodiagnosis-01 (UR)	Anatomy-01 (ST) Physiology-01 (1ST) Microbiology(Medical)-01 (ST) Pathology-02 (1UR, 1OBC) Forensic Medicine-01 (UR) PSM-01 (ST) Epidemiologist Cum Assistant Professor (PSM-1) (UR) Medical Officer Cum Assistant Professor (PSM)-01 (ST) General Medicine-02 (1UR-PH, 1ST) Pediatrics-01 (UR) TB&Chest-01(OBC) Skin&VD-01 (UR) Psychiatry-01 (ST) Nephrology-01(SC) Cardiology-01(UR) Anaesthesiology-04 (1ST, 1UR, 1OBC,1ST) General Surgery-03 (1UR,1SC, 1UR) Orthopaedics-01 (ST) ENT-01 (OBC) Neurosurgery-01(UR-PH) OBGY-03 (1ST, 1UR, 1ST) Radiodiagnosis-01 (UR) Blood Bank-01(SC	General Medicine-05 (2OBC,2ST,1SC) Skin&VD-01(UR) Psychiatry-02 (1ST,1UR-PH) Nephrology-01 (ST) Cardiology-02 (1UR,1OBC) Anaesthesiology-03 (1UR,1ST,1SC) General Surgery-06 (3UR,2ST,1OBC) Orthopaedics-02 (1SC,1UR) ENT-01 (ST) Neurosurgery-01(OBC) OBGY-02 (1UR-PH,1OBC) Radiodiagnosis-02 (1UR,1ST) Blood Bank-01 (UR)	Anatomy-02 (1ST,1OBC) Biochemistry-02 (2ST) Microbiology-02 (1OBC,1UR) Pharmacology-01 (1ST) Forensic Medicine 02 (1SC,1UR) PSM-01 (ST)
Total Post-12	**Total Post-15**	**Total Post-32**	**Total Post-29**	**Total Post-10**
Salary-1,90,000/-	**Salary-1,55,000/-**	**Salary-1,00,000/-**	**Salary-75,000/-**	**Salary-50,000/-**

इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देशः-

1/ उपरोक्त पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं आयु-सीमा भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदण्ड के अनुरूप ही मान्य होंगे।
2/ समेकित संविदा वेतनमान प्रतिमाह है। जिस पर शासकीय नियमानुसार TDS तथा अन्य कटौती किये जायेंगे।
3/ सभी पदों के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को एवं अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को किया जावेगा।
4/ संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार, छत्तीसगढ शासन, संविदा भर्ती नियम 2012 के अंतर्गत शासित होंगे तथा संविदा अवधि गोपनीय प्रतिवेदन एवं रिक्तता के आधार पर बढ़ायी जा सकेगी।
5/ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
6/ सेवानिवृत्त तथा भूतपूर्व शासकीय सेवक भी नियमानुसार पात्र होंगे।
7/ साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज नवीनतम दो रंगीन फोटो एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल प्रति सहित निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थिति दर्ज करें।
8/ साक्षात्कार के समय शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में ऐसे अभ्यर्थी अपात्र माने जायेंगे।
9/ पात्र उम्मीदवार स्वयं के व्यय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे।
10/ अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि, दस्तावेजों की स्क्रूटनी का कार्य प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 तक किया जावेगा। अतः अभ्यर्थीगण प्रातः 10 बजे महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तदुपरांत उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
11/ पदों की संविदा भर्ती के संबंध में जानकारी हेतु चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट www.abvmgmcrajnandgaon.ac.in का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

अधिष्ठाता
'भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति
चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)

आर.ओ.345/जी-242505821.4

कार्यालय वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर

वनमंडल भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.
E-mail: dfoeast bpur@rediffmail.com

// हल्का वाहन चालक के पद पर भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत वाहन चालन एवं मशीन ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलावा हेतु सूचना //

विभाग में रिक्त भारी वाहन चालक / हल्का वाहन चालक के पदों पर सीधी भर्ती अंतर्गत पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, भानुप्रतापपुर अंतर्गत पात्र अभियर्थियों को सूचित किया जाता है कि वाहन चालन एवं मशीन ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा हेतु तिथि दिनांक 26.03.25 से 04.04.25 तक निर्धारित है, जिसमें भारी वाहन चालक पद हेतु प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 26.03.25 को तथा हल्का वाहन चालक पद हेतु दिनांक 27.03.25 से दिनांक 04.04.25 तक वनमंडल अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इस कार्यालय द्वारा समस्त पात्र अभ्यर्थियों को डाक के माध्यम से बुलावा पत्र प्रेषित किया गया है, किसी कारणवश संबधित को पत्र की प्राप्ति नही होती है तो विभागीय वेबसाईट के लिंक :-https://forest.cg.gov.in/post/6487 में अपलोड पात्र अभियर्थियों को सूचित किया जाता है कि संलग्न समय सारणी में दर्शित सरल क्र. में अपना सरल क्रमांक जांच कर सरल क्र. के लिए आरक्षित तिथि पर इस सूचना के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा में अपने पहचान पत्र, 02 पासपोर्ट साईज फोटो एवं आवेदन में संलग्न मूल दस्तावेज एवं उसकी छायाप्रति साथ निम्न दर्शित स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

-: स्थान

तेन्दुपत्ता गोदाम परिसर, दल्लीरोड़ नाका के पास परिक्षेत्र कार्यालय, भानुप्रतापपुर के पीछे। (गुगल लेंस से नीचे दिये गये क्यू आर कोड को स्कैन कर निर्धारित स्थान पर पंहुचा जा सकता है)

वनमंडलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर

आर.ओ.347/जी-242505869

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी पश्चिम भानुप्रतापपुर

वनमण्डल भानुप्रतापपुर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0) Tele: 07850-252242
E-mail:dfowbpur@rediffmail.com

सूचना

पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत भारी/हल्का वाहन चालक के पदो पर सीधी भर्ती हेतु कौशल एवं प्रायोगिक परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की गई है।
परीक्षा स्थल का नाम-तेन्दूपत्ता गोदाम परिसर दल्ली रोड नाका के पास भानुप्रतापपुर

पात्र अभ्यर्थी

भारी वाहन चालक - 67
हल्का वाहन चालक - 47
कुल 114

क्र	दिनांक	समय	अभ्यर्थी संख्या	भारी वाहन चालक/हल्का
01	26.03.2025	8.00 AM	25 पात्रता सूची अनु.क्र. 26 से 50 तक	भारी वाहन चालक
02	27.03.2025	8.00 AM	19 पात्रता सूची अनु.क्र. 5,17 एवं 51 से 67 तक	भारी वाहन चालक
03	28.03.2025	8.00 AM	25 पात्रता सूची अनु.क्र. 01 से 25 तक	भारी वाहन चालक
04	29.03.2025	8.00 AM	22 पात्रता सूची अनु.क्र. 26 से 47 तक	हल्का वाहन चालक
योगः-			91	

पात्र अभ्यर्थियों की सूची वनमंडल कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की गई है। प्रायोगिक परीक्षा तिथि तक प्रवेश पत्र प्राप्त नही होने पर वनमंडल कार्यालय में अथवा निर्धारित स्थल पर पहुंच कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर

आर.ओ.348/जी-242505848.4

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (भू-तल) अटल नगर,
जिला रायपुर (छ०ग०)
2263708, 2262558 Fax-2262558 Email Id-pmscstobc@gmail.com

क्रमांक / आॅ.ला.पो.मै.छा./183/2024-25/14698 नवा रायपुर, दिनांक 13/03/2025

:: सूचना प्रकाशन::

वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी जो अन्य राज्य में अध्ययनरत् है ऑनलाईन पंजीयन की तिथि की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ से बाहर (अन्य राज्य) के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है तथा इन संस्थाओं के प्राचार्यो / संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन / प्रस्ताव / स्वीकृति वर्ष 2024-25 हेतु निम्नानुसार तिथि में निर्धारित की जा रही है :-

क्र	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन / नवीनीकरण)	दिनांक 19.03.2025 से दिनांक 26.03.2025
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 19.03.2025 से 28.03.2025
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 19.03.2025 से 30.03.2025

निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :-

1 (क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष। (ख) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र। (ग) छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र। (घ) विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम। (इ) संस्था द्वारा जारी बोनाफाईड प्रमाण पत्र।

2. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की ही प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

3. वर्ष 2024-25 से संस्थाओं का Geo-Tagging किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा Geo-Tagging नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेगी।

4. वर्ष 2024-25 में अनु. जनजाति एवं अनु. जाति के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।

5. वर्ष 2024-25 में संस्था प्रमुख (HoI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का biometric-authentication किया जाना अनिवार्य है।

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ०ग०

आर.ओ.349/जी-242505974.4

कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद

जिला न्यायालय परिसर, बालोद (छत्तीसगढ़)

फोन नं. - 07749-299056 ई-मेल: dlsa.balod@gmail.com

क्रमांक- 151/जि0वि0से0प्रा0/2025 बालोद, दिनांक 05.03.2025

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि-19/03/2025 की संध्या 5.00 बजे तक (केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद जिला बालोद छ0ग0 के अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम बालोद के स्थापना हेतु नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, संशोधित स्कीम 2022 में जारी दिशा निर्देश एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर का पत्र क्रमांक 7490/एल.ए.डी.सी.एस.-23/2024 दिनांक 11.11.2024 में दिये निर्देशानुसार निम्नलिखित पद में से निर्धारित मानदेय पर संविदा नियुक्ति किये जाने हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

संविदा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का विवरण

संविदा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का विवरण		
स.क्र.	रिक्त पदों का नाम	रिक्त पदों की संख्या
01	02	03
01.	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल	01(अनारक्षित मुक्त वर्ग)
02.	असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल	02(अनारक्षित मुक्त वर्ग)
03.	कार्यालय सहायक/क्लर्क	01(अनारक्षित मुक्त वर्ग)
04.	ऑफिस प्यून(मुंशी/अटेन्डेंट)	01(अनारक्षित मुक्त वर्ग)

महत्वपूर्ण टीप:-

1. **पदों की संख्या परिवर्तनीय है।**
2. विज्ञापन में कोई भी शुद्धिपत्र जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. संविदात्मक पद (डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल), कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं ऑफिस प्यून (मुंशी/अटेन्डेंट) पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये होगी। नियुक्त किये गये स्टॉफ की उपस्थिति, कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
4. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद (छ0ग0) के पास सुरक्षित होगा।
5. संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तें छत्तीसगढ शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित परिपत्र/नियम/शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

-:: भर्ती की पात्रता एवं शर्तें:-

(1) डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल (संविदा) पद के लिये

अ- मानदेय:- एकमुश्त 40,000/-रू0 मासिक

ब– Qualifications:

- Practice in Criminal law for at least 7 Years,
- Excellent understanding of criminal law,
- Excellent oral and written communication skills,
- Skill in legal research,

Thorough understanding of ethical duties of defense counsel,

Ability to work effectively and efficiently with others,

Must have handled at least 20 criminal trials in sessions courts, may be relaxed in exceptional circumstances by Hon'ble executive Chairman, SLSA,

- IT knowledge with proficiency in work.

2 असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल (संविदा) पद के लिये

अ–मानदेय :– एकमुश्त 25,000/–रू0 मासिक

ब– Qualifications:

- Practice in Criminal law from 0 to 3 Years,
- Good oral and written communication skills,
- Thorough understanding of ethical duties of defense counsel,
- Ability to work effectively and efficiently with others,
- Excellent writing and research skills,
- IT knowledge with high proficiency in work.

Note - Qualifications may be reasonably relaxed in case of exceptional candidate or circumstances after the approval of the Executive Chairman, SLSA.

Work Profiles :

(a) **Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel.**

- Conducting trials/ appeals/ Remand work /Bail Applications/visits to prisons etc., as assigned by Chief Legal Aid Defense Counsel,
- Filing and arguing appeals and bail applications in Courts,
- Maintaining complete case files,
- Doing legal research in legal aided cases and guiding assistant legal Aid Defense Counsel and law students attached with the office in legal research,
- Proper client interviews at various stages for quality research work and representation at remand, trial and appellate stage,
- All or any of the work of the Chief defense Counsel as per assignment,
- Any work/duty assigned by Legal Services Authority.

(b) **Assistant Legal Aid Defense Counsel.**

- Filing of cases, conducting trials in Magistrate trial cases,
- Remand/bail and other miscellaneous work,
- Legal research in legal aided cases,
- Visits to Prison and Legal aid Clinics as per directions,
- Providing assistance at pre-arrest stage to suspects,
- Assisting Chief Legal Aid Defense Counsel and Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel in conduct of legal aided cases,
- Assisting in developing a defense strategy after sifting through all of the evidence collected by the prosecution and after hearing the accused's version of what happened during the alleged crime in question,
- Visiting location/area of alleged crime, having discussions with family members etc., for effective and meaningful input for defense strategy,
- Handling queries of legal aid seekers,
- Updating legal aid seekers about the progress of their cases,
- Assisting in maintaining complete files of legal aided cases,
- Handling legal queries relating to criminal matters on telephone,
- Any other work related to legal aid assigned by Chief Legal Aid Defense Counsel,
- Any work/duty assigned by Legal Services Authority.

Termination of Services :

Services of any legal aid defense counsel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel can be terminated at any time without any prior notice in the following cases by the Chairman, DLSA on recommendation of the Secretary DLSA or on the directions by SLSA in writing.

- He/she substantially breaches any duty or service required in the office, **or**
- Seeks or accepts any percuniary gains or gratification in cash or kind from the legal aid seekers or beneficiary or his friend or relative, **or**
- Charged or Convicted for any offence by any court of law, **or**
- Indulges in any type of political activities, **or**
- Found incapable of rendering professional services of the required standards, **or**
- Failure to attend trainning programmes without any sufficient cause, **or**
- Indulges in activities prejudicial to the working of legal aid defense counsel office, **or**
- Using his/her position in legal aid defencse counsel office to secure unwarranted privileges or advantages for him/herself or others, **or**
- Acts in breach of code of ethics, **or**
- Remains absent without leave for more than two weeks, **or**
- If services are found unsatisfactory during the six monthly performance review by the SLSA or DLSA.

क्रमशः

Code of Ethics :

Personnel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel shall observe the following code of ethics:

- No personnel shall act in any matter in whcih he/she has a direct or indirect personal or financial interest,
- No Personnel shall wilfully disclose or use, whether or not for the purpose of pecuniary gain, any information that he/she obtained, received or acquired during the fulfilment of his/her official duties and which is not available to members of the general public,
- No personnel within the office of Legal Aid Defense Counsel shall make use of his/her office or employment for the purpose of promoting or advertising any outside activity,
- No personnel within the office of Legal Aid Defense Counsel shall engage in any outside activity or act as an independent practitioner,
- No personnel within the office of legal Aid Defense counsel shall solicit, agree to accept or accept, whether directly or indirectly, any gift, favour, service, or other thing of value under circumstances from which it might be reasonably inferred that such gift, service, or other thing of value was given or offered for the purpose of influencing him/her in, or rewarding him/her for, the discharge of his/her official duties,
- Legal Aid Defense Counsel shall devote his/her full time to his/her duties for the office of Legal Aid Defense Counsel and shall not engage in private practice or law during the term of employment,
- Every Personnel of the Office of Legal Aid Defense Counsel shall strive to preserve the public's confidence in the office's fair and impartial execution of its duties and responsbilities,
- Legal Aid Defense Counsel shall also follow the code of ethics prescribed by Bar Council of India for lawyers.

Entitlement to Leave :

- Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel shall be eligible for 15 days' leave in a calendar year on pro-rata basis,
- Assistant Legal Aid Defense counsel shall be eligible for 12 days' leave in a calendar year on pro-rata basis,
- No remuneration for the period of absence in excess of the admissible leave will be paid to the human resource of Legal Aid Defense Counsel office,
- Un-availed leave shall neither be carried forward to next year nor encashed.

(3) कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) पद के लिये -

अ- वेतनमानः- एकमुश्त 15,000/-रू मासिक

ब- शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
   (Educational qualification : Graduation)
2. बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कम्प्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिये।
   (Basis word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data.)
3. पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है।
   (Good typing speed with proper setting of petition.)
4. श्रुतलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए।
   (Ability to take dictation and prepare files for presentation in the courts.)
5. फाईल रख-रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए।
   (File maintenance and processing knowledge.)

(4) ऑफिस प्यून (मुंशी/अटेन्डेंट) संविदा पद के लिये -

अ- वेतनमानः- एकमुश्त 9,000/-रू0 मासिक

ब- शैक्षणिक योग्यता -

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा पाँचवी परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

-:: आयु एवं पात्रता की अन्य शर्तें:-

कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं ऑफिस प्यून (मुंशी/अटेन्डेंट) के पद हेतु-

{1} आयु सीमाः-

उपरोक्त पदों के लिये ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हों, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु सीमा में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छ0ग0 राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये प्राथमिक/माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र/अंकसूची जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

{2} अन्य शर्तेः-

1. रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन होना चाहिए। {कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं है}
2. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त की जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
3. उपरोक्त पदों पर नियुक्ति आदेश उपरांत पदभार ग्रहण करने के पूर्व, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
5. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा।
7. कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी को किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया हो तो वह अपात्र माना जायेगा।

-: आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः-

{01} आवेदन पत्र, विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर, वह आवेदित पद, जिसके लिये आवेदन किया गया हो, स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर प्रेषित किया जावे। जैसे कि- ''ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र'' लिखा हो। प्रेषित किया जाने वाला आवेदन पत्र, कार्यालय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) पिन कोड-491226 के पता पर प्रेषित किया जावे। केवल वह आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे, जो कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किये गये हों और इस कार्यालय को दिनांक 19.03.2025 की संध्या 05:00 बजे तक प्राप्त हो गये हों। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से तथा दिनांक 19.03.2025 की संध्या 05:00 बजे उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

{02} आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

{03} ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं आरक्षित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है।

{04} जन्मतिथि की सत्यता हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा प्राथमिक, हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

{05} ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् हैं, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता/विभाग प्रमुख से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

{06} आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो स्वप्रमाणित किया हुआ चस्पा होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस या पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

{07} पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

{08} ई-मेल, फैक्स, कोरियर एवं अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

{09} आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

{10} आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ते

क्रमशः

हुए आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

-:: नियुक्ति हेतु चयन विधि:-

डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल:-

(अ) डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार में सीमित करने के प्रयोजन से उनके स्नातक में प्राप्तांक के प्रतिशत (मेरिट) के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुणा के सीमा के लगभग आवेदकों की छंटनी कर दी जाएगी।

(ब) डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पद हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जावेगा।

ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क:-

(अ) ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क के पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या, कौशल परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके स्नातक में प्राप्तांक के प्रतिशत (मेरिट) के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुणा के सीमा के लगभग आवेदकों की छंटनी कर दी जाएगी।

(ब) **कौशल परीक्षा-** उम्मीदवारों को लगभग 250 (दो सौ पचास) शब्द के गद्यांश को निर्धारित समय 10 (दस) मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक (1/2) काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाईन, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 125 (एक सौ पच्चीस) अंक का होगा। कौशल परीक्षा उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाईप करना होगा।

ऑफिस प्यून (मुंशी/अटेन्डेंट):-

(अ) ऑफिस प्यून (मुंशी/अटेन्डेंट) के पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या, चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा पांचवी में प्राप्तांक के प्रतिशत (मेरिट) के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुणा के सीमा के लगभग आवेदकों की छंटनी कर दक्षता/कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी। (जिन अभ्यर्थियों को कक्षा पांचवी में प्राप्तांक ग्रेड के आधार पर दिया गया है वे संबंधित संस्था/विद्यालय से प्राप्तांक के संबंध में अंकों के आधार पर जारी अंकसूची प्राप्त कर संलग्न करें।)

-:: चयन एवं प्रतीक्षा सूची:-

(01) **डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल** के पद पर चयन हेतु, साक्षात्कार एवं योग्यता के आधार पर मेरिट अनुसार सूची तैयार करते हुए चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार किया जावेगा।

(02) **ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क** के पद पर चयन हेतु, कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही मेरिट अनुसार सूची तैयार करते हुए चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

(03) **ऑफिस प्यून (मुंशी/अटेन्डेंट)** के पद पर चयन हेतु, दक्षता/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट अनुसार सूची तैयार करते हुए चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

(04) प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्याग पत्र देता है या उसे पद मुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से यदि पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उस पद हेतु अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद छ0ग0 के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

(05) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आयेगा, उनका चयन किया जावेगा।

(06) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

-:: महत्वपूर्ण निर्देश:-

(1) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) का होगा।

(3) उक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

(4) आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसांधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से सत्यापित न होने की दशा में संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से सत्यापित कराया जायेगा।

(5) चयनित उम्मीदवारों के, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(6) चयन प्रक्रिया के संबंध में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(7) यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

(8) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।

(9) आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाइट balod.dcourts.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेगें। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के फोटोग्राफ कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस या मतदाता परिचय पत्र या पैनकार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। दक्षता/कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

(10) आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।

(11) आवेदकों को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदकों का पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाईट तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा, जिसे ही अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर अंकित करना है।

-: अन्य महत्वपूर्ण सूचना:-

01. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

02. परीक्षा से संबंधित अभिलेख नियमानुसार विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। नियत अवधि के पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया के संबंध में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद, जिला बालोद छ0ग0 का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

सही/-
अध्यक्ष
भर्ती एवं चयन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क, ऑफिस प्यून (मुंशी/अटेन्डेंट) के पदों पर नियुक्ति हेतु

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बालोद, जिला बालोद {छ0ग0}

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट फोटो दिनांक सहित

01 आवेदित पद का नाम -..

02 आवेदक का पूरा नाम {हिन्दी में} -..

03 अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पूरा नाम -..

04 लिंग {पुरूष/महिला/अन्य} -..

05 पिता/पति का नाम -..

06 {अ}. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता -..
....
....

{ब}. स्थाई पता -..
....
....

07 {अ}. जन्म तिथि {अंकों में} -..

{ब}. जन्म तिथि {शब्दों में} -..

{स}.दिनांक-01.01.2025को आयु

(यदि आवेदक आयु में छूट का कोई दावा करता है तो उक्त के संबंध में आधार एवं दस्तावेज संलग्न करें) वर्ष-..................माह-...............दिन-...................

08 क्या आवेदक छ.ग.राज्य का मूल निवासी है.

{सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें} -..

09 क्या आवेदक छ.ग.राज्य के लिये घोषित -.. अनुसूचितजाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ।

क्रमशः

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति-प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा-.. वर्ग अंकित करें

11 क्या आवेदक दिव्यांग है। -.. यदि हां तो जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड का नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न करें}

12 क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है । - .... यदि हां तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें}

13 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन-... क्रमांक दिनांक/वैधता दिनांक -...

14 रोजगार कार्यालय का नाम -...

15 क्या आप विवाहित है? हां या नहीं -...

16 यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि-...

17 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता -...

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

18 अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)-
....
....
....
....
....

19 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है? यदि हां तो नियोक्ता का अनापत्ति/अनुमति संलग्न करें ।
....

20 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः-
स्वप्रमाणित होना चाहिये -..
01. ....02. ....03. ....
04. ....05..................06................

दिनांक- ....
स्थान- ....

आवेदक का हस्ताक्षर ....
नाम एवं पूरा पता ....
मोबाईल नं. ....
ई-मेल ....
(अनिवार्य रूप से भरें)

।। घोषणा पत्र ।।

मैं......................पति/पत्नी/पिता/अभिभावक.. सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती/करता हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। चयन के किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण या असत्य पाये जाने पर आवेदन पत्र या नियुक्ति रद्द किये जाने के लिये मैं पूर्णतः जिम्मेदार रहूंगी/रहूंगी।

स्थान-.............................
दिनांक-.......................... आवेदक का हस्ताक्षर...

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद जिला-बालोद छ0ग0

।। प्रवेश-पत्र ।।

ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क, ऑफिस प्यून (मुंशी/अटेन्डेंट) के पदों पर नियुक्ति हेतु

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट फोटो दिनांक सहित

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	-	
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	-	

आवेदित पद का नाम - ....
परीक्षार्थी का नाम -...
पिता/पति का नाम -...
वर्ग- -...
अनारक्षित/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व
परीक्षा तिथि -...
समय -...
परीक्षा केन्द्र -...

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

वास्ते/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1/ परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले बाल पेन का ही उपयोग करें। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवेगा। पृथक से प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी प्रधान जिला न्यायालय के वेबसाइट balod.dcourts.gov.in एवं सूचना पटल से ली जा सकेगी।

3/ परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केलकूलेटर, मोबाइल लॉग टेबल, ब्लू टूथ, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

4/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से आवे।

5/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।

APPLICATION FOR ENGAGEMENT AS FULL TIME LEGAL AID LAWYER IN LEGAL AID DEFENSE COUNSEL SYSTEM

(APPLICATION FOR DEPUTY CHIEF/ASSISTANT LEGAL AID DEFENSE COUNSEL)

Affix Your Recent Passport Size Photo With Sign

01 Applicant's Name :________________________________
02 Father/Husband's Name :________________________________
03 Date of Birth :________________________________
04 Age (as on 01-01-2025) :________________________________
05 Gender :________________________________
06 Residential Address :________________________________
____
____
____
____
____
07 Office Address :________________________________
____
____
____
08 Chamber Address(if any):________________________________
____
09 Telephone no. (O) :________________________________
10 Telephone no. (R) :________________________________
11 Mobile No. :________________________________
12 Fax No. :________________________________
13 E-mail ID :________________________________
14 PAN No. :________________________________
15 AADHAR No. :________________________________

क्रमशः

16 **Educational Qualification (Please enclose self-attested copies of document)**

Course	Name of Board/University	Year of Passing	Marks Obtained	Total Marks	Obtained Percentage (aggregate)
Graduation					
ProfessionalDegreeLLB					
LLM					
Any Other (if any)					

17 Date of Enrollment as Lawyer :_______________________

18 **Enrollment No.** :_______________________
(Attach self-attested copy of enrollment certificate issued by Bar Council)

19 Experience in Bar :_______________________
(Duration of actual practice)
(Attach an experience certificate issued by the Bar Association/Council)

(a) Total no. of cases handled:_______________________

(b) Nature of cases handled : _______________________
(Attach extra sheet, if required)

(c) Specilization, if any :_______________________
(The details of a few important cases, the Applicants have dealt with/handled and reported judgement if any)

20. Whether empanelled as Central/State Government or Government undertaking counsel/pleader :_______________________
(Indicate period & attach documents)

21. The Courts where the Applicant is regularly practising :_______________________
(Enclose Bar Association Membership Certificate)

22. Spceify whether earlier remained on the panel of HCLSC/DLSA or TLSC :_______________________
(Indicate period, number of legal aid cases handled & result)
(attach documents)

23. Whether any disciplinary case/Complaint is/was against the Applicant with any Bar Council: YES NO
(If yes, specify details of both disposed & pending with documents)

24. List of the documents to be attached.
1. Self-Attested copy of Certificates in support of educational qualifications.
2. Self-Attested copy of Certificates in Enrollment issued by the Bar Council under the Advocates act, 1961.
3. Self-Attested copy of Photo Identity Card, Address Proof.
4. Self-Attested copy of ITR for last 3 years (if available).
5. Photo copies of judgements in 5 Sessions cases, represented as Defense lawyer, (for the post of Deputy Legal Aid Defense Counsel).

6. Photocopies of as least 5 cross examination in Sessions cases (for Deputy Legal Aid Defense Counsel).

Date- ....
Place- ....

Signature of Applicant ....
Name & Address ....
....
Mobile No. ....
E-Mail ....
(Fill out the mandatory)

DECLARATION

I ....hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found/incorrect at any stage, my candidature is liable to be cancelled. I have read and understood the instructions and terms of the engagement and agrees to abide by those. I declare that I fulfil the eligibility conditions for the category to which I am seeking engagement. I declare that I have never been penalised by any Bar Council in any Disciplinary Proceedings. I also undertake to maintain absolute integrity and discipline as required thereunder. I agree with the remuneration structure and all the terms and conditions notified by SLSA/DLSA concerned.

Place:__________
Date:__________

(Signature with Name)

Office of District Legal Services Authority, District Balod (C.G.)

Admit Card
(For Deputy Chief/Assistant Legal Aid Defense Counsel)

Affix Your Recent Passport Size Photo With Sign

Registration No.	-	
Roll No.	-	

1. Name of Post Applied for : _______________________
2. Applicant's Name : _______________________
3. Father/Husband's Name : _______________________
4. Category (Gen/OBC/ST/SC): _______________________
5. Date of Examination : _______________________
6. Time of Examination : _______________________
7. Examination Centre : _______________________

Signature of Examinee

For Office Use Only

For/Chairman,
District Legal Services Authority,
Balod, District Balod (C.G.)

Instruction for Examinee

01. Examinee should appear 1 hour before the scheduled time.

02. Mobile, Smart Watch, Bluetooth & Other Electronic Devices are prohibited in Examination Hall.

03. On the day of the examination, the examinee is required to bring his/her admit card.

04. Information about the Registration no. & Roll no. can be obtained from the official **website balod.dcourts.gov.in.**

आर.ओ.350/जी-242505807.4

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

ब्लॉक-II, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर अटल नगर-492002

Email ID: diagricg.cg@nic.in, Phone No. 0771-2511630

ज्ञापन क्रमांक / स्था./1-1-ब (1) / सी.न.-05-2023/408 — रायपुर दिनांक 07/03/2025

सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन का शुद्धि पत्र

संचालनालय कृषि द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के कुल 17 एवं प्रयोगशाला सहायक के कुल 10 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्र./स्था./अ-1-ब (1) / सी.भ.-05- 2023/713 दिनांक 04.10.2023 जारी किया गया है।

2-इसी अनुक्रम में छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन के पत्र कमांक एफ 3-63/2024/14-1 दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से उक्त संवर्गों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 04.10.2023 एवं छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन में अंकित पदों की संख्या में संशोधन कर शुद्धि पत्र जारी करने के संबंध में एक अन्य समान प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए अभिमत अनुसार छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 13-4/2015/आ.प्र./1-3- दिनांक 24.02.2015 परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 14.07.2017 एवं पत्र क्रमांक 1206/609/आ.प्र./2021/1-3 दिनांक 31.07.2021 अनुसार इस प्रकरण में भी आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

3-सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन के महत्वपूर्ण टीप के बिन्दु क्रमांक 1 अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है तथा विस्तृत विज्ञापन के बिन्दु क्रमांक-4 (2) अनुसार राज्य में सीधी भर्ती के पदों के लिये लागू महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण एवं दिव्यांगजनों के लिये आरक्षण के संबंध में जारी किये गये नियम/निर्देश लागू होंगे, उल्लेखित है।

4-उपरोक्तानुसार विस्तृत विज्ञापन में उल्लेखित बिन्दुओं तथा छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन के पत्र कमांक एफ 3-63/2024/14-1 दिनांक 15.10.2024 के आधार पर छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 13-4/2015/आ.प्र./1-2 दिनांक 24.02.2015 परिपत्र कमांक एफ 13-4/2014/आ.प्र. /1-3 दिनांक 14.07.2017, पत्र क्रमांक 1206/609/आ.प्र./2021/1-3 दिनांक 31.07.2021 तथा भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 प्रतिशत् आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 04.10.2023 एवं छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन की कंडिका (रिक्त पदों का विवरण) में सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक के समक्ष अंकित पदों की सख्या में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

पद नाम	(अ) कुल पद श्रेणीवार					(ब) कॉलम (अ) में दर्शाये गये रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 30%					(स) कॉलम (म) में दर्शाये गये कुल पदी में से दिव्यांग के श्रेणी के लिए 7%	महायोग
	UR	SC	ST	OBC	योग	UR	SC	ST	OBC	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	7	2	6	2	17	2	0	1	0	3	1	17
प्रयोगशाला सहायक	4	1	3	2	10	1	0	0	0	1	1	10

5-विज्ञापन क्र./स्था./अ-1-ब (1) / सी.भ.-05-2023/713 दिनांक 4.10.2023 एवं छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन की शेष समस्त शर्तें / कंडिकायें यथावत रहेगी।

अपर संचालक कृषि
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

आर.ओ.351/जी-242505899.4

कार्यालय बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट

चकरभाठा बिलासपुर, छत्तीसगढ़

पृ०कमांक/68/निविदा/बि०दे०के०/ — बिलासपुर (चकरभाठा) दिनांक 08.03.2025

-: निविदा सूचना :-

बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट, बिलासपुर (चकरभाठा) में कर्मियों की आपूर्ति हेतु 01 लेखापाल (कुशल), 02 डाटा एंट्री ऑपरेटर (उच्च कुशल), 02 भृत्य (अकुशल) एवं 02 महिला सफाईकर्मी (अकुशल) 12 माह के लिए अस्थायी रूप से संचालन हेतु निविदा निर्धारित प्रारूप एवं शर्तों के अधीन निविदा दिनांक 24. 03.2025 समय दोपहर 02:00 बजे तक आमंत्रित किया गया है इच्छुक फर्म/संस्था निर्धारित प्रारूप के साथ 500/- रूपये का डिमांड ड्राफ्ट बिलासपुर एयरपोर्ट बिलासपुर के नाम से प्रत्येक सेवा हेतु पृथक-पृथक बंद लिफाफा अधेहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से दोपहर 02:00 बजे तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) जमा कर सकते हैं।

निर्धारित प्रारूप एवं आवश्यक शर्तें बिलासपुर जिले के वेबसाईट www.bilaspur.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 24.03.2025 को 02:00 बजे अपरान्ह तक निविदा खोलने की तिथि 24.03.2025 को सायं 03:00 बजे स्थान :- बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट, बिलासपुर (चकरभाठा)

एयरपोर्ट डायरेक्टर
बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट,
बिलासपुर (चकरभाठा)

आर.ओ.352/जी-242505862.3

कार्यालय बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट

चकरभाठा बिलासपुर, छत्तीसगढ़

पृ०कमांक/67/निविदा/बि०दे०के०/ — बिलासपुर (चकरभाठा) दिनांक 08.03.2025

-: निविदा सूचना :-

बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट, बिलासपुर (चकरभाठा) में कर्मियों की आपूर्ति हेतु 02 ड्राईवर कम ऑपरेटर (कुशल) 12 माह के लिए अस्थायी रूप से संचालन हेतु निविदा निर्धारित प्रारूप एवं शर्तों के अधीन निविदा दिनांक 24.03.2025 समय दोपहर 02:00 बजे तक आमंत्रित किया गया है इच्छुक फर्म / संस्था निर्धारित प्रारूप के साथ 500/- रूपये का डिमांड ड्राफ्ट बिलासपुर एयरपोर्ट बिलासपुर के नाम से बंद लिफाफा में अधेहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से दोपहर 02:00 बजे तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) जमा कर सकते है।

निर्धारित प्रारूप एवं आवश्यक शर्तें बिलासपुर जिले के वेबसाईट www.bilaspur.gov.in से. डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 24.03.2025 को 02:00 बजे अपरान्ह तक निविदा खोलने की तिथिः 24.03.2025 को सायं 03:00 बजे स्थान :- बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट, बिलासपुर (चकरभाठा)

एयरपोर्ट डायरेक्टर
बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट,
बिलासपुर (चकरभाठा)

आर.ओ.353/जी-242505861

कार्यालय अधिष्ठाता,

स्व. बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)

कमांक/1207 / रथा. / शाचिम/2025 जगदलपुर, दिनांक 27/02/2025

(वॉक-इन-इन्टरव्यू)

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) हेतु स्वीकृत निम्नलिखित शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संविदा भर्ती हेतु कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर में प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के गुरुवार को प्रातः 11:00 बजे "वाक इन इन्टरव्यू' आयोजित किया जाता है। अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को 'वाक इन इन्टरव्यू आयोजित होगा।

इस संस्था के विभिन्न विभागों में आरक्षित / अनारक्षित वर्ग के चिकित्सा शिक्षकों, चिकित्सकों, सीनियर रेसीडेंट, जूनियर रेसीडेंट, प्रदर्शक / ट्यूटर एवं अन्य चिकित्सक प्रथम, द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु मेडिकल इंडिया के मापदण्ड की अर्हता अधिकतम आयु 70 वर्ष तक नियुक्ति मान्य होगी) रखते हों। योग्य उम्मीद्वार (MBBS, PG, Certificate, Registration, Pan Card, Experience Certificate, Domicile Certificate, Caste Certificate and Relieving letter from previous institution, applicable etc.) एवं उनकी स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ इस महाविद्यालय में कार्यालयीन समय में स्वयं के व्यय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते है।

क्र	प्राध्यापक	एक मुश्त संविदा वेतन	रिक्त पद
1	प्राध्यापक	2,25,000/-	04
2	सह प्राध्यापक	1,85,000/-	13
3	सहायक प्राध्यापक	125,000/-	24
4	सीनियर रेसिडेंट (पी.जी.)	95000/-	24
5	प्रदर्शक / प्रदर्शक (पी.जी.)	53,000/-व 95,000/-	07
6	जूनियर रेसिडेंट	63,000/-	11

विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर की वेवसाईट E-mail: gmcdjagdalpur02@yahoo.com पर उपलब्ध है। रिक्त पदों की संख्या समय-समय पर परिवर्तनीय हैं।

संलग्न - विभागवार रिक्त पदों की सूची।

क्र	पदनाम	रिक्त पद	विभागवार रिक्त पद
1	प्राध्यापक	4	एनाटॉमी- 01
			फार्माकोलॉजी 01
			माईक्रोबायोलॉजी - 01
			रेडियोडायग्नोसिस 01
2	सहप्राध्यापक	13	एनाटॉमी- 01
			फिजियोलॉजी 01
			बायोकेमेस्ट्री- 01
			फार्माकोलॉजी - 01
			पैथोलॉजी -01
			माईक्रोबायोलॉजी 01
			मेडिसीन-01
			चर्म रोग- 01
			मनोरोग - 01
			सर्जरी-01
			नेत्ररोग - 01
			स्त्रीरोग एवं प्रसूति-01
			रेडियोथेरेपी-01
3	सहायक प्राध्यापक	24	एनाटॉमी- 02
			फिजियोलॉजी बायोफिजिक्स - 02
			फार्माकोलॉजी फार्मासिटीकल केमेस्ट्री 03
			पैथोलॉजी - 03
			फॉरेंसिक मेडिसीन 01
			पी.एस.एम. एपीडेमोलॉजिस्ट 04
			चर्म रोग - 01
			मनोरोग-01
			शिशुरोग - 02
			सर्जरी-02
			निश्चेतना – 02
			रेडियोडायग्नोसिस - 01
4	सीनियर रेसिडेंट	24	मेडिसीन- 05
			शिशुरोग-01
			टी.बी.एण्ड चेस्ट-2
			मनोरोग-02
			सर्जरी- 01
			नाक, कान एवं गला -01
			निश्चेतना- 08
			रेडियोडायग्नोसिस-04
5	प्रदर्शक	7	एनाटॉमी-02
			फॉरेंसिक मेडिसीन-01
			चर्म रोग-01
			शिशु रोग- 01
			नेत्ररोग-01
			निश्चतना-01
6	जूनियर रेसिडेंट	11	मेडिसीन- 02
			सर्जरी - 02
			अस्थि रोग - 02
			नेत्ररोग - 03
			स्त्रीरोग एवं प्रसूति

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
डिमरापाल जगदलपुर (छ.ग.)

आर.ओ.354/जी-242505890-4

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रारोड (छ.ग.)

Ph. No. 07751-220180 E-Mail-dfomarwahi@yahoo.com

सूचना

समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मरवाही वनमण्डल अंतर्गत वाहन चालक के कुल 02 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती (भारी वाहन चालक 01 पद एवं हल्का वाहन चालक के 01 पद) की कार्यवाही करते हुये दस्तावेज जांच / कौशल (मशीनी ज्ञान) एवं प्रायोगिक (वाहन चालक) परीक्षा दिनांक 03.04.2025 को फिजिकल ग्राउण्ड पेण्ड्रा जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में निर्धारित किया गया है। हल्का वाहन चालक के 15 पात्र एवं भारी वाहन चालक के 07 पात्र अभ्यर्थी है। कुल पात्र अभ्यर्थियों की संख्या 22 है उक्त अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी करते हुये स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया गया है। साथ ही विभागीय वेबसाईट forest.cg.gov.in में अपलोड किया गया है।

अतः जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है वे अपना प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाईट forest.cg.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

वनमण्डलाधिकारी
मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रारोड

आर.ओ.355/जी-242505990.3

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

(प्रथम तल, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर)

ई-मेल-excise.comm.cg@gov.in फोन नं. 0771-2512612 वेब साईट- https://excise.cg.nic.in

क्रमांक /आब./स्था (अराज.)/2025/1177 **नवा रायपुर, दिनांक 16/03/2025**

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश पृ.क्र. एफ 6-21/2024/वा.क. (आब.) / पाँच नवा रायपुर दिनांक 14.08.2024 द्वारा आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को परीक्षा एजेंसी निर्धारित किया गया है। उक्त पदो पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2018 एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं / परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी, इस हेतु समस्त पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट- https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है।

पदनामः - छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा, 2025

रिक्त पदों का विवरण

क्र	पद का नाम	वर्गीकरण	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांग जन के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
			अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	आबकारी आरक्षक	तृतीय श्रेणी	84	24	64	28	25	7	19	8	8	2	6	2	0	200	वेतन मेट्रिक्स लेवल-4 (5200-20200 +1900)

टीप :-

1. छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 1-21/2014/सक/26 दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार आवेदित पद के लिये निःशक्तता अमान्य की गई है। अतः निःशक्त (दिव्यांग) आवेदक आबकारी आरक्षक पद के लिये आयोजित परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
2. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
3. विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाईन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्र तथा अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट- https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।
4. उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली चयन प्रक्रियायें माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

अपर आयुक्त आबकारी
छत्तीसगढ़

आर.ओ.356/जी-242505967.7

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कोंडागांव वनमंडल
जिला-कोंडागांव (छ.ग.)

E-mak southledkgn@yahoo.co.in Tel.: 07786-242303

'भारी/हल्का वाहन चालक सीधी भर्ती सूचना "

वनमंडल कोंडागांव अंतर्गत भारी/हल्का वाहन चालक के पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/प्रशा. अराज. 1/442/2025/2398 दिनांक 28/02/2025 द्वारा जारी निर्देशानुसार भारी/हल्का वाहन चालक हेतु पात्र अभ्यर्थियों की वाहन चालन, कौशल एवं प्रायोगिक परीक्षा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

परीक्षा स्थल - बड़ेकनेरा रोड स्थित निर्माणाधीन स्टेडियम, कोंडागांव दिनांक 02/04/2025 को प्रातः 8.00 बजे से

क्र.	प्रक्रिया विवरण	रिमार्क
1	भारी/हल्का वाहन चालक हेतु वाहन चालन / मशीनी ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा (कुल पात्र 20 अभ्यर्थी)	(1) भारी वाहन चालक हेतु कुल पात्र अभ्यर्थी संख्या - 08 (2) हल्का वाहन चालक हेतु कुल पात्र अभ्यर्थी संख्या 12

पात्र अभ्यर्थियों की सूची वनमंडल कार्यालय कोंडागांव के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। प्रायोगिक परीक्षा तिथि तक जिस किसी भी पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वनमंडल कार्यालय कोंडागांव में आवेदन पत्र की पावती के साथ उपस्थित होकर प्रायोगिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है अथवा सीधे निर्धारित स्थल पर पहुंचकर प्रवेश पत्र प्राप्त कर प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।

वनमंडलाधिकारी कोंडागांव
वनमंडल. कोंडागांव

आर.ओ.357/जी-242505969.3

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, 0771-2331204 वेबसाईटः www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 7203/13/परीक्षा/2024 रायपुर, दिनांक 5-03-2025

व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2024 की समय-सारिणी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/2024/परीक्षा/दिनांक 23.12.2024 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 01/2025/परीक्षा/दिनांक 23.01.2025 के तहत् व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2024 की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 18 मई 2025 (रविवार) को जिला बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई एवं रायपुर (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी समय सारिणी निम्नानुसार हैः-

DATE	DAY	TIME
04.05.2025	SUNDAY	10:00AM TO 01:00 PM

उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिवस पूर्व जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक
छ०ग० लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर
(छ०ग०)

आर.ओ.358/जी-242505812.5

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 01/2025/परीक्षा/दिनांक 03/03/2025

::विज्ञापन::

सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10/03/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 08/04/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

परीक्षा की तिथि : 06 जुलाई 2025

महत्त्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/03/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 08/04/2025 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 09/04/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11/04/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 12/04/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 14/04/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास/मूल निवास में सुधार कर "नहीं" का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास/मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में स्थानीय निवास/मूल निवास में "हां" के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **वाणिज्य एवं उद्योग विभाग** के अंतर्गत **सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक**	**13**	**4**	**9**	**4**	**3**	**1**	**2**	**1**	**1 (HH)**	**30**	56100 (स्तर-12)
Abbreviation Used : HH-Hearing Handicapped												

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन (HH) ही मान्य होंगे।

क्रमश:

4. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक' पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो' ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है ।

5. रिक्तियों में आरक्षणः-

(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है ।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा ।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्यः-

(i) पद का नाम :- सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक

(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित - द्वितीय श्रेणी

(iii) वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-12

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

(क) किसी भी विषय में इंजीनियरिंग उपाधि

अथवा

औद्योगिक रसायशास्त्र , वाणिज्य , अर्थशास्त्रं , भौतिकशास्त्रा, रसायनशास्त्र में स्नालतकोत्तर उपाधि

अथवा

मान्यगता प्राप्तय संस्थाव से एमबीए /पीजीडीएम (एआईसीटीई)

टीपः- वाणिज्यं एवं उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-2/2024/11/6 रायपुर, दिनांक 27/06/2024 के अनुसार एमबीए की डिग्री की न्यू नतम अवधि 02 वर्ष होगी । पीजीडीएम के अतिरिक्तव प्रबंधन में अन्यो स्नापतकोत्तफर पत्रोपाधि (जैसे पीजीडीबीएम, पीजीडीबीए इत्यायदि) को मान्य0 नहीं किया जाएगा ।

(3) परिवीक्षा अवधिः- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी ।

महत्वपूर्ण नोटः-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है ।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है ।

(4) निर्धारित आयु सीमाः-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो । स्पष्टीकरणः-''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो । (छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा । शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।)

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी ।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी ।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।

(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी ।

महत्वपूर्ण टीपः-

(a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है । अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा ।

(c) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2025 के संदर्भ में की जाएगी ।

(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें । परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी ।

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत

क्रमशः

करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी ।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र । (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा- डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां । अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है । ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा ।

(iv) जाति प्रमाण पत्रः-

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाहनीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा ।

(c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं । ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा ।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है । जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्काारर की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए ।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

(ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्टेट का प्रमाण-पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र ।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव'' का प्रमाण-पत्र ।

(vii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता'' का प्रमाण-पत्र ।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्रः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/ मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए ।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(8) आपराधिक अभियोजनः-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो ।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से ।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो ।

(9) अनर्हताः- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि

क्रमशः

जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी ।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए ।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा । उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये । (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(10) चयन प्रक्रियाः- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं । आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल" साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।

टीपः- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगाः-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट- दो में प्रकाशित है ।

(iii) परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा ।

(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं ।

(11) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्कः-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400/- (चार सौ रूपये) आवेदन शुल्क देय होगा । छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा । सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे ।

(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा ।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा । यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के स्थाधनीय/मूल निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाता है तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा । छत्तीसगढ़ स्थानीय/मूल निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाता है तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी ।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे ।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा ।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी ।

(vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे ।

(13) परीक्षा के संबंध मेंः- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी ।

(14) अत्यन्त महत्वपूर्णः-

(i) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन/छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें ।

(ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी । अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते है अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते है ।

(iii) स्वयं के अथवा जिला/संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए । अपना सह लेखक लाने या जिला/संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है । परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला/संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन के परिशिष्ट-चार, पांच, छः व सात के अनुसार उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 प्राप्त कर, प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर प्राप्त कर जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित जिला या संभाग कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेगा । स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनो हीं स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला/संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नही कर सकेंगे ।

(iv) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा । परिशिष्ट चार से सात तक उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी । जिन अभ्य र्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला/संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें । जिला/संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी ।

(15) यात्रा व्यय का भुगतानः-

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा ।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना हैः-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो ।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य

क्रमशः

किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो ।

नोटः- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा ।

(iii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा । गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी । यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा ।

(16) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(17) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(18) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है । अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सत्त अवलोकन करते रहें । आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

(19) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।

(20) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Inter pretation) :-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा ।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट-4

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी ....के पुत्र/पुत्री, आयु .... वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति .... (उम्मीदवार का नाम) जो ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है ....और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और .... तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी...................................अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थानः

दिनांकः

परिशिष्ट-4

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी .. ..के पुत्र/पुत्री, आयु .... वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति .... (उम्मीदवार का नाम) जो .... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है .... और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और .... तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी...................................अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थानः

दिनांकः

परिशिष्ट-5

प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो ....(राज्य का नाम) के.. (जिले) में .... (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से .... (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि .... (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता .... है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थानः

दिनांकः

क्रमशः

परिशिष्ट-5
प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो ....(राज्य का नाम) के.........................(जिले) में .... (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से .... (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि .... (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता .... है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)
(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थानः
दिनांकः

परिशिष्ट-6
प्रपत्र-3

प्रति,
कलेक्टर,
जिला -----------------------------

विषयः-आयोग द्वारा आयोजित -------------------------------- परीक्षा में सह लेखक प्रदाय करने संबंधी।

---00---

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं -------------------------------------- पिता श्री -- आयोग द्वारा आयोजित ---------------- परीक्षा दिनांक -------------------- में सम्मिलित हो रहा/रही हूं। इस परीक्षा में मैं एक दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग (------ प्रतिशत) अभ्यर्थी हूं।
मैं दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थी होने के कारण स्वयं लिख नहीं सकता/सकती हूं।
अतः मैं श्री/सुश्री -------------------------------पिता श्री -------------------------------- को सह लेखक के रूप में रखना चाहता हूं/चाहती हूं।
अतः आपसे निवेदन है कि सह लेखक के रूप में श्री/सुश्री ---------------------------------- पिता श्री -------------------------------- को सह लेखक के रूप में मान्य करते हुए प्रदाय करने की कृपा करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ------------------------------
अभ्यर्थी का नाम -------------------------------------
अभ्यर्थी का ई-मेल -----------------------------------
अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर ---------------------------

परिशिष्ट-7
प्रपत्र-4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर
सह लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले स्व-घोषणा पत्र

1. परीक्षा का नाम .... वर्ष...
2. परीक्षा का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफलाइन) ....
3. परीक्षा का दिन व समय ....
4. परीक्षा केन्द्र का क्रमांक व नाम ....
5. अभ्यर्थी का नाम ....
6. अभ्यर्थी का अनुक्रमांक ....
7. अभ्यर्थी के पिता का नाम ....
8. सह लेखक का नाम ....
9. सह लेखक के पिता का नाम ....
10. सह लेखक द्वारा धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता ....

स्व-घोषणा पत्र

मैं ....निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता/करती हूं कि मै स्वयं की सहमति से अभ्यर्थी श्री/सुश्री .... को परीक्षा में उनके कहे अनुसार परीक्षा दिलाने में मदद करने के लिए सह लेखक के रूप में उपस्थित हुआ/हुई हूं। मेरी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता ....है। मेरे द्वारा स्वयं के विवेक से किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने अथवा सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी के कहे अनुसार ही शब्दश उत्तर लिखे अथवा चुने जाएंगे। मेरे द्वारा की गई उक्त घोषणा का कोई भी अंश चयन के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात कभी भी गलत पाया जाता है, तो मेरे विरूद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व/अथवा संबंधित विभाग को होगा तथा इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सह लेखक के हस्ताक्षर	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/ अगुंठे का निशान	केंद्राध्यक्षक के हस्ताक्षर व केंद्र की सील

परिशिष्ट-एक
''परीक्षा योजना''

(1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार ।

परीक्षा	-	300 अंक
साक्षात्कार	-	30 अंक
कुल	-	330 अंक

(2) परीक्षाः-
(i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगाः-
प्रश्न पत्र
प्रश्नों की संख्या 150 3:00 घंटे अंक 300

भाग 1 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान- 50 प्रश्न (100 अंक)
भाग 2 – योग्यसता परीक्षण - 100 प्रश्न (200 अंक)

कुल - 150 प्रश्न (300 अंक)

(3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, अभ्थ्री को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/ निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा ।

टीप :- अभ्योर्थियों की संख्याा को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्था न पर कम्यूत सहटर बेस्डे टेस्टे (CBT) आयोजित कर सकेगा ।

क्रमशः

(4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा । ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगाः -

$$MO = M \times R - 1/3\, M \times W$$

जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है । उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी ।

(5) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट-दो में दी गई है ।

(6) लिखित/कौशल/अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा । आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा ।

(7) साक्षात्कारः- साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है ।

(8) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(9) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी । केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे ।

(10) चयन सूचीः- उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा ।

(11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी ।

भाग.1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान ।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र ।
3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य , कला एवं संस्कृति, जनऊला,मुहावरे, हाना एवं लोकोत्तियां ।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार ।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि ।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज ।
7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन ।
8. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं ।

Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh

1. History of Chhattisgarh, & Contribution of Chhattisgarh in Freedom Movement.
2. Geography, Climate, Physical status, Census, Archeological and Tourist Centres of Chhattisgarh.
3. Literature, Music, Dance, Art and Culture, Idioms and Proverbs, Puzzle/riddle (जनऊला), Singing (हाना) of Chhattisgarh.
4. Tribes, Special Traditions, Teej and Festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, Forest and Agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative Structure, Local Government and Panchayatiraj of Chhattisgarh.
7. Industry in Chhattisgarh, Energy, Water and Mineral Resource of Chhattisgarh.
8. Current Affairs of Chhattisgarh.

भाग.2 योग्यता परीक्षण

1. संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल ।
2. तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता ।
3. निर्णय - निर्माण और समस्या निवारण ।
4. सामान्य मानसिक योग्यता ।
5. मूल संख्यात्मक कार्य (सामान्य गणितीय कौशल) (स्तर-कक्षा दसवीं), आंकड़ों की\ व्याख्या (चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि) (स्तर-कक्षा दसवीं)।
6. हिन्दी भाषा ज्ञान (स्तर-कक्षा दसवीं)।
7. अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (स्तर-कक्षा दसवीं)।
8. छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान ।
9. कम्प्यूसगढ़ टर संचालन संबंधी ज्ञान ।

हिन्दी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा ।

Part-2 Aptitude Test

1. Interpersonal skills including communication skills;
2. Logical reasoning and analytical ability
3. Decision making and problem solving
4. General mental ability
5. Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude etc.) (Class X level), Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc. (Class X level)
6. Knowledge of Hindi Language (Class X level).
7. Knowledge of English Language (Class x level)
8. Knowledge of Chhattisgarhi Language.
9. Knowledge of Computer Operational.

Knowledge of Hindi Language and Chhattisgarhi Language will be tested in Hindi and Chhattisgarhi Language only, without providing translation.

परिशिष्ट-तीन

''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैंः- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें) ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टरर्ड अभ्ययर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यभर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टरर्ड अभ्यकर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चकर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टकर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त् होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देशः- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने

क्रमशः

तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगें जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्कः-

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः-

(i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

-00000-

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, 0771-2331204 वेबसाईटः www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 7163/09/परीक्षा/2024 रायपुर, दिनांक 4-03-2025

निरीक्षक वाष्पयंत्र (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) परीक्षा-2024 की समय-सारिणी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्र. 01/2024/परीक्षा दिनांक 17.10.2024 के तहत निरीक्षक वाष्पयंत्र (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा दिनांक 04 मई 2025 (रविवार) को जिला रायपुर (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी समय सारिणी निम्नानुसार हैः-

DATE	DAY	TIME	SUBJECT
04.05.2025	SUNDAY	10:00AM TO 01:00 PM	Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh Part-2 Related Subject

उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिवस पूर्व जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जायेगा।

सचिव
छ०ग० लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर
(छ०ग०)

आर.ओ.346/जी-242505805.5

छत्तीसगढ़

जशपुर में पहली बार विमान उड़ान प्रशिक्षण शुरू, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के आगडीह हवाई पट्टी में विमान उड़ान प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। उन्होंने 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के कैडेट्स से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। यह पहली बार है जब रायपुर से बाहर जशपुर में इस तरह का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। ट्विन-सीटर SW-80 विमान से 100 कैडेट्स को उड़ान का व्यावहारिक अनुभव दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे जशपुर के विकास की ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में करियर निर्माण के अवसर दे रही है। इस पहल से जशपुर अब विमानन प्रशिक्षण का नया हब बन रहा है।

छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग का गठन करेगा सरकारः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग गठित करने की घोषणा की है। यह आयोग उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और कौशल विकास पर कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी को अपनाना ही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की नींव है। उन्होंने बस्तर क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देने पर जोर दिया। राज्य की नई औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को सहयोग देने की बात कही। इस अवसर पर "स्वदेशी की विकास यात्रा" पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने की अपनी घोषणा को पूरा करके राज्य के लाखों शासकीय सेवकों को होली पर्व से पूर्व सौगात दी है। 3 मार्च को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में शासकीय सेवकों को 53 प्रतिशत डीए किए जाने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के परिपालन में शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने का आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

गुरूदर्शन मेले में श्रद्धा की उमंग, सुविधाओं का ऐतिहासिक विस्तार

गिरौदपुरी में आयोजित गुरूदर्शन मेले में देशभर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस वर्ष मेले में सुविधाओं और सुरक्षा का व्यापक विस्तार किया गया है। मेले का बजट बढ़ाकर 50 लाख किया गया है, साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड का निर्माण होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए चिकित्सा केंद्रों और एंबुलेंस की संख्या बढ़ाई गई है। भोजन, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किया गया है। पहली बार गिरौदपुरी मेला डॉट कॉम वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिससे श्रद्धालु ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह मेला श्रद्धा, सेवा और भव्यता की नई ऊँचाइयों को छू रहा है।

मनरेगा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। उन्होंने मनरेगा कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार देने का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता का आधार है। धरसा पहुंच मार्ग और अमृत सरोवर परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में 24.89 लाख परिवारों को रोजगार मिला है, जबकि 2,902 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 299 पूर्ण हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में उद्योग और नवाचार को बढ़ावा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग और नव उद्यमिता के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार निवेशकों को हरसंभव सहयोग दे रही है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत ऑनलाइन आवेदन, 'सिंगल विंडो 2.0' प्रणाली और त्वरित स्वीकृति की व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश को अब तक 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर, एआई, आईटी और फार्मा सेक्टर को विशेष बढ़ावा दिया गया है। औद्योगिक पार्कों की स्थापना से उद्योगों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

छत्तीसगढ़ में 11,733 करोड़ का निवेश, 9 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रैंप योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में उन्होंने 16 निवेशकों को 'इन्विटेशन टू इन्वेस्ट' पत्र सौंपे, जिससे 11,733 करोड़ रुपए के निवेश और 8,943 युवाओं को रोजगार मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कार्यक्रम में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से प्रशिक्षण प्राप्त 5 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। साथ ही, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 9 लाभार्थियों को 2.21 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण योजना के तहत 3 लाभार्थियों को 55 लाख से अधिक की सहायता राशि के चेक भी वितरित किए गए।

63,273 करोड़ रूपए की अनुदान मांगें पारित

कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के विभागों के लिए कुल 63,273 करोड़ 82 लाख 11 हजार रूपए की अनुदान मांगें पारित की गई। इसमें अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 229 करोड़ 35 लाख 38 हजार रूपए, आदिम जाति कल्याण के लिए 155 करोड़ 28 लाख 40 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 38,271 करोड़ 21 लाख 50 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 1814 करोड़ 54 लाख 30 हजार रूपए, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2 करोड़ 73 लाख 90 हजार रूपए अनुदान मांगें शामिल हैं।

राष्ट्रीय

भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का गुरुग्राम में उद्घाटन

देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के सेक्टर 39 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में बनाए गए इस अद्भुत केंद्र का मकसद है-दुनिया में शांति, अहिंसा और सद्भाव का संदेश फैलाना।

अंजू राठी विधि सचिव बनीं इस पद पर पहली महिला

अंजू राठी राणा को नया विधि सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय विधि सेवा की अधिकारी अंजू विधि सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। 2017 में उन्हें विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। 18 साल तक वह दिल्ली सरकार में सरकारी वकील भी रही थीं। आईएएस अधिकारी नितेन चंद्र कुछ महीने पहले तक विधि सचिव थे और तब से यह पद रिक्त था। वह राजीव मणि का स्थान लेंगी, जो वर्तमान में इस पद का अंतरिम प्रभार संभाल रहे थे। वह भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों के लिए कानूनी सलाहकार कार्य की देखरेख करते हैं।

जगुआर स्क्वॉड्रन में तनुष्का सिंह को स्थायी नियुक्ति

तनुष्का सिंह ने लखनऊ का नाम एक और 'ऊंची उड़ान' से जोड़ दिया है। 24 साल की फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बन गई हैं। तनुष्का जल्द अपने स्क्वाड्रन में ऐक्टिव ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगी। तनुष्का के दादा देवेंद्र बहादुर सिंह सेना के रिटायर्ड कैप्टन और पिता अजय प्रताप सिंह सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं।

सौर पैनल से अब अधिकतम बिजली बनाने की तकनीक

एनआईटी राउरकेला ने बदलते मौसम में भी सौर पैनलों से अधिकतम बिजली के उत्पादन के लिए कम लागत वाली एक तकनीक का पेटेंट कराया है। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग नामक तकनीक सूर्य के प्रकाश और तापमान में बदलावों के बावजूद वोल्टेज और करंट को समायोजित कर अधिकतम संभव बिजली का उत्पादन करने में सौर पैनलों की मदद करती है।

एक मिनट में 100 एयरपोर्ट कोड पहचानने का रिकॉर्ड

केरल के तिरुवनंतपुरम मूल की श्रुति ससीन्द्रन ने 1 मिनट में 100 एयरपोर्ट कोड पहचानने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। श्रुति फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रह रही हैं।

पीएम ने 58वां बाघ अभयारण्य बनने की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाघ अभयारण्यों की सूची में 58वां अभयारण्य शामिल करने की सराहना करते हुए कहा कि यह वन्यजीव प्रेमियों के लिए अद्भुत खबर है। पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि देश में 58वां बाघ अभयारण्य बन गया है और नवीनतम अभयारण्य मध्य प्रदेश का माधव बाघ अभयारण्य है। यादव के पोस्ट को टैग करते हुए मोदी ने एक्स पर कहा, वन्यजीव प्रेमियों के लिए अद्भुत खबर।

हल्के लड़ाकू विमान एमके 1ए का पहला रियर फसलेज एचएएल को सौंपा गया

निजी कंपनी अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा. लि. ने हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) एमके 1ए का पहला रियर फसलेज (पिछला धड़) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) को सौंप दिया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसे शानदार उपलब्धि बताते हुए मील का पत्थर करार दिया। फसलेज लड़ाकू विमान का मुख्य हिस्सा होता है, जिसमें पायलट, यात्री के साथ-साथ माल रखे होते हैं, जबकि रियर फसलेज और उससे जुड़े कलपुर्जों को सहारा देता है। एचएएल ने 83 एलसीए एमके 1ए के प्रमुख मॉडयूल की सप्लाई के लिए एलएंडटी, अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लि. (एएएसएल), वीईएम टेक्नोलॉजी और लक्ष्मी मिशन वर्क्स (एलएमडब्ल्यू) जैसी भारतीय निजी कंपनियों को ऑर्डर दिए थे। एचएएल ने पहले ही 12 एलसीए एमके 1ए रियर फसलेज का निर्माण कर लिया है, जो विनिर्माण लाइन में विमान पर हैं।

आईआईटी की पहल, स्कूलों में मेटावर्स से होगी पढ़ाई

असम के पीएम श्री आदर्श विद्यालयों के छात्र अब गणित व विज्ञान स्थानीय भाषाओं में वर्चुअल रियलिटी से सीखेंगे। आईआईटी गुवाहाटी देश का पहला वीआर-इनेबल्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म बना रहा है। साल के अंत तक पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

शक्ति एयरक्राफ्ट बनाएगी डीए 40 विमान, पहली डिलीवरी मई में संभव

शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री चीन की वानफ्रेंड एविऐशन के स्वामित्व वाली डायमंड एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर हरियाणा के हिसार में डीए 40 एनजी ट्रेनी विमान बनाएगी। ऐसा करने वाली यह पहली स्वदेशी कंपनी है। इसका पहला 4 सीटर विमान मई में डिलीवर होगा। 200 विमानों के लिए कंपनी का एरो क्लब ऑफ इंडिया से करार हुआ है।

आईआईटी गुवाहाटी में अब फैकल्टी संग मॉर्निंग वॉक

आईआईटी-गुवाहाटी ने पिछले सेमेस्टर में छात्रों की आत्महत्या के मामलों के बाद इसे रोकने के लिए खास योजना बनाई है। इसके तहत नए छात्रों के लिए पहले सप्ताह में आइस-ब्रेकिंग सेशन, फैकल्टी के साथ मॉर्निंग वॉक, अनिवार्य काउंसलिंग सेशन और मेडिकल चेक-अप अनिवार्य होगा।

पहली बार में स्पैडेक्स की अनडॉकिंग सफल

इसरो ने स्पैडेक्स (स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट) मिशन के तहत दो सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अनडॉक या अलग कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर ये ऐलान किया। भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान-4 और गगनयान के लिए रास्ता साफ करता है। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को सैटेलाइट एसडीएक्स 01 और एसडीएक्स 02 को कक्षा में स्थापित किया था। 16 जनवरी 2025 को कई प्रयासों के बाद इसरो ने इन दोनों उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक कर दिया था। ऑपरेशन को बेंगलुरु, लखनऊ और मॉरीशस में स्थित ग्राउंड स्टेशनों से मॉनिटर किया गया।

अंतरराष्ट्रीय

समुद्र में 40 मी. नीचे बन रही विश्व की सबसे लंबी सड़क व रेल टनल

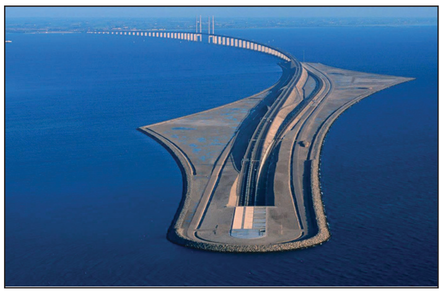

यूरोप में दुनिया का सबसे लंबा समुद्र के अंदर सड़क-रेल टनल आकार ले रहा है। 18 किमी लंबा फेहमने टनल समुद्र में पानी की सतह से 40 मीटर नीचे बन रहा है। बाल्टिक सागर में बन रहा टनल डेनमार्क के लोलैंड द्वीप को जर्मनी के फेहमर्न को जोड़ेगी। इससे समुद्र के नीचे दो लेन की सड़कें और दो इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइनों का जाल बिछाया जाएगा। 2029 में इस टनल के बनकर तैयार हो जाने पर यूरोप में सड़क और रेल नेटवर्क का नक्शा ही बदल जाएगा।

धूप से चार्ज होने वाला मोबाइल फोन, सोलर से चलने वाला लैपटॉप लॉन्च

स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस-2025 का आगाज हुआ। पहले ही दिन कंपनियों ने अपना नया कॉन्सेप्ट फोन, लैपटॉप, कम्प्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पेश किया। चीन की कंपनी इनफिनिक्स ने धूप से चार्ज होने वाला फोन लॉन्च किया है। इसमें पीछे सोलर पैनल दिया गया है। कंपनी ने सोलर चार्जिंग फोन केस भी पेश किया है, जो सूर्य की रोशनी से फोन को चार्ज कर सकता है। यह तकनीक पेरोव्स्काइट सौर सेल पर आधारित है, जो पारंपरिक सिलिकॉन सेल से हल्के और सस्ते होते हैं। यह सिस्टम 2 वाट तक चार्जिंग दे सकता है और फोन की बैटरी लंबी चलाने में मदद करता है। वहीं, लेनोवो ने सौर ऊर्जा से चलने वाले कॉन्सेप्ट लैपटॉप का प्रदर्शित किया। सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेकर चार्ज होगा। यह एआई तकनीक से लैस है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में नई नियुक्ति, प्रो. चौधरी रफीकुल अबरार ने ली शपथ

बांग्लादेश में, ढाका विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर चौधरी रफीकुल अबरार ने अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद के सलाहकार के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के बंगभवन में उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ, अंतरिम सरकार में सलाहकारों की संख्या 23 हो गई है। उन्हें शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस और सलाहकार, कुछ राजनीतिक दलों के नेता और अन्य अतिथि उपस्थित थे। मुख्य सलाहकार ने उन्हें राज्य मंत्री के दर्जे के साथ अपने विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया है।

पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की शॉर्ट्स 7.95 लाख रु. में नीलाम

न्यूयॉर्क लॉस एंजिलिस में जाने-माने लोगों की चीजें नीलाम की जा रही है। इस नीलामी में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की शॉर्ट्स 7.95 लाख रु. में बेची गई। शॉर्ट्स पर हाथों से सिलकर उनके नाम जैक का लेबल भी लगा हुआ है।

वॉट्सएपः एक कॉल में चुन सकेंगे अपने फेवरेट नंबर

वॉट्सएप पर जल्द एक कॉल में फेवरेट नंबरों को चुन सकेंगे। इस फीचर के जरिए एप के माध्यम से कॉल करना बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है। वहीं, अब एप पर आने वाले वीडियो का प्लेबैक स्पीड बदल सकते हैं।

दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया ने मिसाइलें दागी

दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने ह्वांगहे प्रांत से कई बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में दागी हैं। यह घटना दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास 'फ्रीडम शील्ड' के शुरू होने के कुछ घंटों बाद हुई। उत्तर कोरिया इस अभ्यास को अतिक्रमण का पूर्वाभ्यास मानता है।

जापान का निसेको बना 'स्की कैपिटल', टूटा 68 साल का रिकॉर्ड

जापान का निसेको शहर दुनिया की नई 'स्की कैपिटल' बनता जा रहा है। होक्काइदो द्वीप पर स्थित यह शहर अपनी सूखी, मोटी पाउडर बर्फ के कारण स्की प्रेमियों की पसंद बना हुआ है। दिसंबर में यहां 68 साल का बर्फबारी रिकॉर्ड टूटा, जबकि फरवरी में साइबेरियाई हवाओं ने ढलानों को फिर से बर्फ से ढक दिया। निसेको अपनी लग्जरी सुविधाओं के लिए भी मशहूर हो रहा है। हाई-एंड रिसॉर्ट्स और मिशेलिन-स्टार रेस्तरां इसकी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। पहले इसे 'ऑस्ट्रेलियाई टाउन' कहा जाता था, लेकिन अब अमेरिकी पर्यटकों की संख्या 7 साल में 404% बढ़ी, जिससे रेवेन्यू 130% तक बढ़ गया। लगातार बढ़ते निवेश और विदेशी पर्यटकों की वजह से निसेको दुनिया का नया स्की हब बन रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी को मॉरीशस का सर्वोच्च सम्मान, विदेशी राष्ट्र से यह 21वां सम्मान

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मॉरीशस के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति धरम गोकुल ने 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह पर दिया। मोदी ने पोर्ट लुईस में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन का उद्घाटन किया। यहां मॉरीशस के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों में मुद्रा निपटान प्रणाली, जल प्रबंधन, शिपिंग से जुड़े कई समझौते हुए।

शनि की परिक्रमा करने वाले 128 चंद्रमा खोजे गए

खगोलविदों ने शनि के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 128 नए चंद्रमाओं की खोज की है। इससे शनि अब सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। इससे पहले यह खिताब बृहस्पति के पास था, लेकिन अब शनि के कुल 274 चंद्रमा हैं, जो सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल चंद्रमाओं से लगभग दोगुने हैं। शनि की परिक्रमा करने वाले नए चंद्रमाओं की खोज कनाडा, फ्रांस के खगोलविदों ने हवाई टेलीस्कोप के जरिए की है। प्रमुख शोधकर्ता डॉ. एडवर्ड एश्टन ने कहा, "हमें यकीन था कि और भी चंद्रमा होंगे और हमने 2023 में आगे के अवलोकन किए।" बता दें कि 5 फरवरी 2024 तक बृहस्पति के 95 चंद्रमाओं की पुष्टि हो चुकी है।

45 करोड़ आकाशगंगाओं का सर्वे करेगा टेलीस्कोप

नासा ने अपने स्फेयरएक्स टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेज दिया है। इसे स्पेस-एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह टेलीस्कोप पृथ्वी से करीब 650 किमी ऊपर रहकर 45 करोड़ आकाशगंगाओं और 10 करोड़ तारों का सर्वे करेगा। इसके साथ ही नासा ने पंच मिशन भी लॉन्च किया है। यह सूर्य के वायुमंडल और सौर हवाओं का अध्ययन करेगा। ये दोनों मिशन ब्रह्मांड और सौरमंडल को समझने में मदद करेंगे।

खेल / कला

टीम इंडिया ने रचा इतिहास, तीसरी बार जीती चैंपियंस ट्रॉफी

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह भारत की तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीत है। इससे पहले भारत ने 2002 और 2013 में यह ट्रॉफी जीती थी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट चटकाकर शानदार गेंदबाजी की। लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रनों की अहम पारी खेली और 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने। श्रेयस अय्यर (48) और केएल राहुल (34*) की पारियों ने भारत को जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत 10 महीने में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना, इससे पहले टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था।

मास्टर्स लीगः इंडिया ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 7 रन से हराया

सौरभ तिवारी (60) और अंबाती रायुडू (63) की 94 रन की साझेदारी की बदौलत इंडिया ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 7 रन से शिकस्त दी। रायपुर में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग अंतिम चरण मुकाबले शुरू हुए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को देखने पहुंचे दर्शकों को निराशा हाथ लगी। इंडिया मास्टर्स ने अंबाती रायुडू और सौरभ तिवारी के विस्फोटक अर्धशतक और फिर युवराज सिंह (49) ने आखिरी क्षणों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज मास्टर्स के खिलाफ टीम को 253/3 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 246/6 का स्कोर ही बना सकी। विजेता टीम की ओर से अभिमन्यु मिथुन ने तीन विकेट लिए। मैच से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी।

मुश्फिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की

बांग्लादेश के अनुभवी क्रिकेट खिलाड़ी मुश्फिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 36 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कल अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की। हालाँकि, उन्होंने कहा है कि वे टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे।

खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होंगे

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि इस वर्ष खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विश्व के कई खिलाड़ी भाग लेंगे। यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण होगा। इस दौरान लगभग 1,230 पैरा एथलीट छह विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिनमें पेरिस पैरालिंपिक 2024 और चीन के हांग्जो में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स 2022 के पदक विजेता भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के अनुसार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 21 से 26 मार्च तक पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी और पैरा पावरलिफ्टिंग खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं, इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में 20 से 27 मार्च तक पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाओं का आयोजन होगा। डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज 21 से 25 मार्च तक पैरा शूटिंग स्पर्धाओं की मेजबानी करेगा।

अचंत शरत टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की

भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल ने चेन्नई में डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 25 से 30 मार्च तक खेला जायेगा। रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके 42 वर्षीय शरत कमल वर्तमान में भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी हैं। शरत ने अपने दो दशक के लंबे करियर में राष्ट्रमंडल खेलों में सात स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि एशियाई खेलों में दो कांस्य पदक अपने नाम किए। उन्होंने पिछले साल पेरिस में पांचवां और आखिरी ओलंपिक खेला था जिसमें वे उद्घाटन समारोह में संयुक्त ध्वजवाहक थे। शरत को अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है।

पंकज आडवाणी ने दोहा में 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक जीता

भारतीय क्यू स्पोर्ट्स के उस्ताद पंकज आडवाणी ने 20 फरवरी को दोहा में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में 14वां स्वर्ण पदक जीता। इस नवीनतम जीत के साथ, वह एक अभूतपूर्व उपलब्धि के करीब पहुंच गए हैं, उन्होंने एक ही कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय, एशियाई और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। बिलियर्ड्स में यह उपलब्धि हासिल करने के बाद, स्नूकर में इसे पूरा करने से वह दोनों विषयों में ऐसा करने वाले इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी बन जाएंगे। आडवाणी के पास अब नौ एशियाई बिलियर्ड्स खिताबों के साथ-साथ पांच एशियाई स्नूकर खिताब (15-रेड, 6-रेड और टीम प्रारूपों में) हैं, और उनके दो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक (2006, 2010) उनके प्रभुत्व को दर्शाते हैं।

प्लेयर ऑफ द मंथ की रेस में स्मिथ, गिल और फिलिप्स

दुबई आईसीसी ने फरवरी 2025 के प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, भारत के शुभमन गिल, और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स को नामांकित किया है। फरवरी में स्मिथ ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में दो शतक जमाए। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से सीरीज में क्लीन स्वीप किया। वहीं, गिल ने फरवरी में पांच वनडे मैचों में 101.50 के औसत से 406 रन बनाए, जिसमें इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ शतक भी शामिल रहे। फिलिप्स ने पांच वनडे में 124.21 के स्ट्राइक रेट से 236 रन बनाए। उनके योगदान ने न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में त्रिकोणीय श्रृंखला जीतने में मदद की।

टेबल टेनिस के सिंगल्स कैटेगरी में कल्पेश और दिव्या ने जीता गोल्ड

जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से सप्रे हॉल में अंतर संस्थान टूर्नामेंट कराया गया। जिला संघ के सचिव विनय बैसवाड़े ने बताया कि सिंगल्स और डबल्स कैटेगरी के खिताबी मुकाबले हुए। पुरुष सिंगल्स में कल्पेश जादवानी ने गिरिराज बागड़ी को 2-0 से हराकर गोल्ड जीता। वहीं, महिला सिंगल्स में दिव्या आमदे ने स्वाति बांठिया को 2-0 से मात दी। इसी तरह डबल्स में आयुष शर्मा और अभिनव शर्मा की जोड़ी विजेता रही।

अनोरा ने बेस्ट पिक्चर समेत 5 अवॉर्ड्स जीते; ऑस्कर पाने वाली पहली जेन-जी बनीं मिकी

97वें ऑस्कर अवॉर्ड्स की घोषणा कर दी गई। 23 कैटेगरी में ऑस्कर विजेताओं में फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रिअन ब्रॉडी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फिल्म अनोरा के लिए मिकी मेडिसन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीता। सेक्स वर्कर की कहानी पर बनी फिल्म अनोरा ने इस साल सबसे ज्यादा 5 अवॉर्ड बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रीन प्ले बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी जीते उसे कुल छह नामांकन मिले थे। दूसरे नंबर पर फिल्म द बूटलिस्ट को को बेस्ट एक्टर के अलावा बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर (बैडी कॉर्बेट) के अवॉर्ड्स मिले हैं।

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
स्वर्णिम भविष्य की राह
शासकीय विभागों के
9000
से अधिक पदों पर भर्ती जारी
शासकीय भर्तियों में आयु सीमा में
5 वर्ष की छूट
नया रायपुर में
आईटी हब की स्थापना से रोजगार के नए अवसर
सुशासन से समृद्धि की ओर
ChhattisgarhCMO
DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

विष्णु के सुशासन में
महिला सशक्तीकरण

महतारी सदन

महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों के जरिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर

179 महतारी सदनों का निर्माण

महतारी वंदन

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आहार-पोषण के लिए प्रति माह **₹1000**

70 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ

सुशासन से समृद्धि की ओर

ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो